मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् (संस्थाओं को मान्यता) विनियम, 1982

1. विनियम 1
2. विनियम 2
3. विनियम 3
4. विनियम 4
5. विनियम 5
6. विनियम 6
7. विनियम 7
8. विनियम 8
9. विनियम 9
    - उपाबंध एक
    - उपाबंध- दो
    - उपाबंध तीन
    - परिशिष्ट

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् (संस्थाओं को मान्यता) विनियम, 1982

क्र. 2167-फा. 1-8-82-सत्रह-मेडि.-4.- मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 52 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य होम्योपैथीक परिषद, मध्यप्रदेश, राज्य-सरकार की पूर्व मंजूरी से (देखिए) लोक स्वास्थ्य विभाग मध्यप्रदेश शासन का ज्ञापन क्र. 2225-2411 सत्रह-मेडी-4 तारीख 24 अगस्त 1982 एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् -

विनियम

1. इन विनियमों का संक्षिम नाम राज्य होम्योपैथी परिषद् (संस्थाओं को मान्यता) विनियम, 1982 है।

2. प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था में एक प्राचार्य तथा अध्यापक होंगे जिनकी अर्हताएं नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगी :-

(1) प्राचार्य अर्हताएं.- होम्योपैथी में 4 वर्षीय नियमित अध्ययन का उपाधि-पत्र या होम्योपैथी में उपाधि; या

होम्योपैथिक महाविद्यालय, में प्रशासनिक और अध्यापन कार्य के अनुभव सहित आधुनिक चिकित्सा (एम. बी. बी. एस) में उपाधि ।

(2) अध्यापन कर्मचारीवृन्द तथा उनकी अर्हताएं.- आचार्य प्रोफेसर)/उपाचार्य (रीडर) -

(क) होम्योपैथी में उपाधि या 4 वर्षीय उपाधि-पत्र ।

(ख) आधुनिक चिकित्सा विषयों में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की आधुनिक चिकित्सा की कोई उपाधि

(ग) होम्योपैथिक महाविद्यालय/आधुनिक चिकित्सा महाविद्यालय में अध्यापन का तीन वर्ष का अनुभव

मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 13 सितम्बर, 1982 पृष्ठ 1579-1586 ।

(3) प्राध्यापक (लेक्चरर). -

(क) होम्योपैथी में उपाधि या 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का उपाधि-पत्र तथा 3 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव ।

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की आधुनिक चिकित्सा की उपाधि ।

(ग) डी. एच. वी. उपाधि-पत्र (मध्यप्रदेश) तथा किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय में अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव या 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव ।

(4) निदर्शक (डिमान्स्ट्रेटर) - होम्योपैथी में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का उपाधि-पत्र ।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की आधुनिक चिकित्सा की उपाधि |

(ग) डी. एच. बी. उपाधि पत्र (मध्यप्रदेश) तथा किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय में अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव या 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव ।

3. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1973 (1973 का सं. 59) की धारा 20 के अधीन होम्योपैथी में शिक्षा के न्यूनतम स्तर विहित किये जाने तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों की अर्हताएं तथा उपलब्धियां और ऐसी प्रत्येक संस्था में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस और संस्थाओं को मान्यता देने की शर्त तथा ऐसी संस्थाओं में शिक्षा का स्तरमान ऐसा होगा जैसा कि परिषद् राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से समय-समय पर अवधारित करे ।

4. किसी संस्था को तब तक मान्यता नहीं दी जायेगी जब तक कि वह ऐसी किसी सोसायटी द्वारा न चलाई जाती हो जो मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत समझी जाती है ।

5. भवन. प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था का विषयवार कक्षाओं के कक्ष जो उस विषय के लिये विशेष रूप से बनाये रखे जायेंगे और प्रत्येक कक्षा के लिये सामान्य व्याख्यान कक्ष की सुविधायुक्त एक यथोचित भवन होगा चाहे वह किराये का हो या स्वयं का हो या विधित : अनुज्ञेय-व्यवस्था के अधीन हो । उसमें अलग से महाविद्यालय का कार्यालय पुस्तकालय संग्रहालय और उस विषय के अध्यापन तथा निदर्शन के लिये प्रयोगशालाएं होंगी । साथ ही विकास के लिये पर्याप्त स्थान होगा । भवन की अवस्थिति तथा निर्माण इस प्रकार से होना चाहिये कि जिससे वह एक अध्यापन संस्था लगे । उसमें पूर्णत सुसज्जित एक बाहय रोगी औषधालय होना चाहिये तथा इतना स्थान होना चाहिए कि जिससे उसके साथ चार वर्ष की कालावधि के भीतर कम से कम पच्चीस बिस्तरों वाला एक आवासीय चिकित्सालय जोड़ा जा सके । अन्य प्रायोगिक अपेक्षाएं उपाबन्ध एक से तीन तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

6. प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था में, उपाबन्ध एक से तीन में विनिर्दिष्ट किये गये उपकरणों, नक्यघें तथा प्रतिरूपों के साथ ही वह होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित मान के अनुसार होगी ।

7. प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था में उपाबंध एक से तीन में विनिर्दिष्ट आवासीय चिकित्सालय के लिये अपेक्षाओं के साथ ही वह होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित मान के अनुसार होगी ।

8. पुस्तकालय तथा संग्रहालय. - संस्था के पास विद्यार्थियों को उचित प्रशिक्षण देने हेतु, औषध निर्माण शास्त्र (फार्मेसी) शरीर रचना विज्ञान एनाटामी शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलाजी रोग विज्ञान (पैथालाजी) विधि चिकित्सा शास्त्र (फोरेसिक मेडिसिन) तथा स्वास्थ्य विज्ञान (हाईजीन) के लिये और अन्य विषयों पर एक अच्छा पुस्तकालय तथा संग्रहालय होगा ।

9. वित्त.- आय-व्यय का लेखा तथा वित्तीय स्थिति के संबध में रिपोर्ट जब मांगी जाए परिषद् द्वारा की प्रस्तुत की जायेगी ।

MAPIT (MPCode)
www.code.mp.gov.in

उपाबंध एक

औषध निर्माण शास्त्र (फार्मेसी) के लिये न्यूनतम अपेक्षाएं

1. भौतिक तुला तथा बाटपेटी	....	3
2. फोसेलेन मोर्टर तथा पेस्टिल्स	....	6
3. कांच के मार्टस तथा पेस्टिल्स	....	6
4. स्टील के मोर्टस तथा पेस्टिल्स	....	3
5. जलोष्मक (वाटर बाथ)	....	6
6. क्रूसिविल	....	6
7. ट्राईपाड स्टैण्ड	....	6
8. वायर गाज	....	6
9. स्पिरिट लैम्प	....	6
10. पिपेट	....	12
11. बीकर 50 मि. ली. 20 मि. ली. 10 मि. ली	.... (प्रत्येक के लिए)	12
12. ब्यूरेट	....	12
13. ब्यूरेट स्टैंड	....	12
14. कार्क सहित फियेल, 1 ड्राम, 2 ड्राम आदि	....	5 ग्रीस
15. आयटमैन्ट स्लेब्स	....	6
16. आयटमेन्ट पाट्स	....	
17. हार्न स्पटुला	....	9
18. स्टील स्पैटुला	....	6
19. स्टाम्प वांच	....	2
20. स्टाम्प ग्लास	....	एक दर्जन
21. चापिंग बोर्ड	....	12
22. चापिंग नाइफस	....	12
23. जूस प्रेसर	....	6
24. जार 1 लीटर	....	12
25. फेनल ग्लास	....	12
26. फिल्टर डिस्केटस पील्युल्स तथा विभिन्न आकारों तथा रंगों की गोलियां		
27. शुगर आफ मिल्क (दूध की शकर)		
28. केमीकल साल्टस (रासायनिक लवण)		
29. ग्लिसरीन		
30. वेसलीन		
31. स्पर्मा कोटि		
32. व्हाइट वेक्स (सफेद मोम)		
33. हार्ड सोप		
34. साफ सोप		

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

35. कर्ड सोप		
36. स्टार्च		
37. आलिव आयल		
38. आइल आफ रोसमरी		
39. तैयार किया हुआ लार्ड		
40. हसीन ग्लास		
41. रेक्टीफाईड स्पिरिट		
42. डिनेचर्ड स्पिरिट		
43. प्रयोगशाला स्टूल्स		
44. प्रयोगशाला टेबल		
45. विभिन्न प्रकार के हन्ने (सीव्स)		
46. (नपना) नापने वाला ग्लास (मेजर ग्लास)		
47. क्लीनिकल थर्मामीटर		
48. वनस्पति जगत क्षेत्र (नीचे) पशु जगत धातु तथा रसायन के विभिन्न औषिधि नमूने		
49. ग्लोगुल्स-वर्गीकृत क्रमांक 10 से 40		
50. डिस्टिल्ड वाटर		
51. मेथीलेटेड स्पिरिट		
52. कम से कम 12 सामान्य औषधियों के मदर टिंक्चर		
53. कम से कम 12 औषधियों के ट्राइबरेशन आफ नाइन्य		
54. वर्गीकृत चम्मच क्राकरी तथा स्टील		
55. मेजर ग्लास तथा जार- 50 मि.लि. से 100 मि.लि. आदि		
56. ड़ापर ग्लास, कन्डक्शन बाल्ट्स		
57. सेन्टीमल तथा (बेसिमल तथा) डेसिमल पोतेशियों की बेक पोटेन्सीज		
58. मिलेसीमल पोटेन्सीज		
59. फार्मेसी स्कल		
60. लेबेल बुक		
61. प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर तथा पर्चियां		
62. स्टाक रजिस्टर		
63. स्टोरोयेड बोर्ड तथा इंक		
64. स्पिरट के रि-डिस्टिलेशन के लिये डिस्टिलेशन इकाई		

MAPIT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

उपाबंध- दो

शरीर रचना विज्ञान विभाग के लिये अपेक्षाएं

क. मॉडल्स. -

1. दोनों दाहिये तथा बांए खण्डों को दर्शाते हुए फेफडों के माडल उनके ब्रास सेक्शन ।
2. सतह गाल ब्लेडर तथा पोर्टा लिपेट दर्शाते हुये एब्दोमेन लिकर का माडल, लिकर का ब्रास सेक्शन ।
3. लिकर के सेक्टान का माडल ।
4. स्पिलीन का माडल ।
5. आंख का नेत्र गोलक (आई बाल) के आक्यूलर मांस पेशियों (मसल्स) तथा विभिन्न चेंबरों सहित नेत्र गोलक का माडल ।

(ट्रेंगल)

(क) अग्र एन्टीरियर) तथा पश्च पोस्टेरियर नाक के रुधिर वाहिका (ब्लड वेसल्स) तथा तंत्रिका (नर्वस) ।

(ख) वरट्रेबल आईटरी, बेसिलट आईटरी तथा सर्वल्स आर्फ विलिस ।

26. मांस पेशियों सहित हायोड बोन ।
27. रूधिर वाहिकाओं सहित थाइराईड ।
28. प्रोस्टेड, शुक्राशय तथा इजेक्यूलेटरी डक्यूस सहित यूरिनरी ब्लेडर ।
29. ट्यूब, गर्भाशयों तथा लिंगामेंट्स सहित गर्भाशय ।
30. फेमोरल त्रिकोण सभी संबंधों सहित ।
31. एडक्टोर केनल ।
32. हथेली की धमनियां तथा तंत्रिकाएं ।
33. पैर के तलुए की धमनियां तथा तंत्रिकाएं ।

(ग) तंत्रिकाएं, कंकाल स्केल्टन).-

1. संहित (आर्टीकुलेटेड) - एक
2. विसंहित (डिस आर्टीकुलेटेड) - दो

50 विद्यार्थियों की कक्षा के लिये विच्छेदन व्यवस्था

शव - 4

टेवल- 4

3. संहित जोड़-

(क) भुजा

(ख) कोहनी

(ग) कुल्हा (हिप)

(घ) घुटना

(ड) टखना (एंकल)

4. एक सहित कंकाल तथा एक विसंहित कंकाल विच्छेदन कक्ष में भी होना चाहिये।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

शरीर क्रिया विज्ञान तथा रोग विज्ञान की प्रयोगशाला के लिये न्यूनतम अपेक्षाएं

1.	आयल एम्मरशन लेन्स सहित माइक्रोस्कींग	4
2.	10 X 4 फीट को टेबिलें	2
3.	रीजेंट बोतलों के लिये रेक्स	12
4.	होमाग्लोबनों मीटर	6
5.	होमोसिटी मीटर	6
6.	अल्युमिनी मीटर	6
7.	बी. पी. इक्सेंट	1
8.	स्को मीटर	6
9.	यूरीनोमीटर	6
10.	रैक सहित ई. एस. आर. एपारटस	1
11.	यूरिन ग्लास	6
12.	बीकर 10 इंच	1
13.	वर्गीकृत आकार का 112 लीटर का फलास्क	6
14.	ट्राइपाड स्टैंड	12
15.	वायर गाज	12
16.	स्पिरिट लेप	12
17.	रिजेन्ट्स	तदनुसार
18.	विविध स्लाईडे तथा ग्लास कवर्स	
19.	फिल्टर पेपर	
20.	टेस्ट ट्यूब	
21.	टेस्ट ट्यूब स्टैंड	
22.	टेस्ट ट्यूब होल्डर	
23.	सेन्ट्रीफयुगल मशीन	
24.	स्टाप काक तथा स्टैंड सहित-ग्रेजुएटेडपिपेट (अम्शाम्कीत)	
25.	(प्लेन) साद तथा अम्शाम्कीत पिपेट ।	
26.	पोर्सिलीन पात्र	
27.	फनेल वर्गीकृत	
28.	स्टेंड बाथ	
29.	लिटमस पेपर	
30.	मेग्निफाई ग्लासेज	

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

पैथालॉजिकल स्लाइड तथा पैथालॉजीकल चार्टस

1. डच्यू बी. सी. वन
2. आर. बी. सी. तथा प्लेटलेट्स
3. आर. बी. सी. तथा डब्ल्यू बी. सी. का. विकास
4. एरियोजर टिश्यू
5. मस्कुल टिश्यु तथा कार्डियक मशल्स
6. इपीथीलियल टिश्यू
7. ग्लैन्डुलर टिश्यु
8. लायवर्सन सिस्टिम दर्शाते हुए बोन सिस्टम
9. न्यूरौन
10. आई. आप्टिक पाथ
11. सेक्शन आफॅ रेटिना
12. पिरामिडल ट्रेक्ट्स
13. सेरेब्रेन के विभिन्न क्षेत्र
14. आक्सीजन केरेज
15. कार्बन डाई आक्साइड कैरेज
16. श्वसन (रेस्पिरेटरी सेंटर) का नियंत्रण
17. सेक्शन आफॅ थाइराइड
18. एड्रेनल कोरटेक्स
19. अग्र (एन्टिरियर) पिट्यूटरी सिस्टम
20. ओवरी सेक्शन
21. जिव्हा
22. अपकर्ष तथा पुनर्जनन प्रक्रियाएं दर्शाने वाली तंत्रिका
23. लिम्गफ ग्लैन्ड सिस्टम
24. सेलाइबरी ग्लैंड्स
25. विभिन्न भाग दिखाते हुए स्पाईनल कोर्ड सिस्टम
26. स्पाईनल तंत्रिकाएं
27. सेन्सरी एंड आरगन्स
28. मोटर एण्ड आरगन्स
29. विभिन्न सेन्सरी तथा मोटर ट्रक्ट्स-तिथिया दर्शाते हुए स्पाइनल आर्डर
30. अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) पिरामिडल ट्रेक्ट्स
31. सेन्सरीटेरक्ट्स स्पीनोथैल्मिक देवस स भी ट्रेक्ट्स तथा बरडक फेलेचसिंग और जीवर्स
32. आडीटरी पाथ
33. अन्य

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

पैथालोजिकल प्रतिरूप. -

1. चेचक (स्माल पाक्स)
2. चिकन पाक्स
3. गैस्ट्रिक अल्सर
4. डुओडैनल
5. कारबन्दल
6. एलिफैंटाईसिस
7. इन्टेस्टाईन का अल्सर
8. फिलेरियल सेरीटम
9. पुरूष तथा महिला दोनों का रजित वर्ण
10. बोन नेक्रोसिस तथा सेक्वेस्टर्म
11. अन्य

प्रसूति विद्या तथा स्त्री रोग विज्ञान के लिये न्यूनतम अपेक्षाएं. -

1. डभी
2. फोरटल स्कल
3. फीमेल पेल्विस का डिलीवरी माडल
4. सर्टीकुलटेड फीमेल पेल्विस
5. ट्यूब, लिंगामेंट्स, सेरविक्स तथा वेजीना सहित गर्भाशय का माडल
6. उपकरण

MAP IT (MP Code)

लघुशल्य क्रिया तथा फर्स्ट एड के लिये न्यूनतम अपेक्षाएं -

1. आग्ती इक् फारसेट्स--टूथ एगड प्लेन
2. सिम्स फारसेप्स
3. बोस्टूरी
4. प्रोब
5. डायलेटर
6. टंग डिप्रेशन.
7. स्वलपेल्स
8. टविल विलप्त
9. क्यूरेटर तथा, डायलेटर
10. ट्रेकिडनी के आकार का तथा चौकोर
11. डेंटल फोरसेप
12. डायग्नोस्टिक सेट
13. सेलाइन इक्सजन एपरेटस

www.code.mp.gov.in

14. ट्राचर तथा केम्मुला
15. बोन फोरसेप्स
16. बेसिन तथा लकड़ी के स्प्लिंस
17. कैटगर निलोन धागे
18. मुडी हुई तथा सीधी कैंचियां वर्गीकृत आकार की
19. डिलीवरी फोरसेप
20. रेक्टल स्पेक्यूलम
21. स्ट्रेटेलाइजर
22. मध्यम तथा छोटे ड्रम
23. आटोक्लेव
24. अन्य

नेत्र रोग विज्ञान (आप्थेमेलाजी) के लिये न्यूनतम अपेक्षाएं.-
1. रेटीनोस्कोप
2. रिफ्रेशन चार्ट
3. रिफेशन लेन्सस सेट (ट्रायल सेट)
4. आप्थेल्मोस्कोप

पुस्तकालय. -

संग्रहालय

1. औषध निमार्ण शास्त्र (फार्मेसी)
2. शरीर रचना विज्ञान (एनाटामी)
3. शरीर किया विज्ञान (फिजियोलाजी)
4. रोग विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान (पैथालाजी तथा हाइजीन)
5. विधि चिकित्सा शास्त्र (फोरेन्सिल मेडिसिन)
6. प्रसूति विद्या तथा स्त्री रोग विज्ञान (ग्राफमेट्रिक्स तथा गायनोकोलोजी)

MAPIT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

उपाबंध तीन

25 बिस्तरों वाले आवासी चिकित्सालय के लिये न्यूनतम अपेक्षाएं

	(मात्रा)
1. लाकर बिस्तर सहित	25
2. गद्दे	25
3. चद्दर	50
4. तकिया गिलाफ	50
5. तकिया	25
6. तौलिया	50
7. थूकदान	25

8. टेंप्रंचर चार्ट के फ्रेम	25
9. रिकार्ड प्रेस या फ्रेम	25
10. बाबेल	25
11. बेड पेन	6
12. यूरिनल पुरूष के लिये	6
13. यूरिनल महिला के लिये	6
14. किडनी आकार के ट्रे	12
15. फिडिंग कप	6
16. थर्मामीटर	6
17. आइस बग	6
18. हाट वाटर बाल्टस	6
19. मेकोन्टीस (रबर शीट्स)	पर्याप्त स्टॉक
20. मग्धे	25
21. सेलाइन सेट	25
22. ड्यूक केन	2
23. एनेमा केन	2
24. एनेमा सीरिंज (ग्लिसरीन)	
25. स्टार वाच	1
26. फर्स्ट एड सेट	1
27. फायर बेकर तथा एक्स्टीबिशर	2
28. एन्टोक्लेब आदि ।	2

[1][32. प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को विनियम 31 में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि के इन्टर्नशिप पूर्ण करने के पश्चात् होम्योपैथी परिषद् (दीक्षांत समारोह) विनियम 1993 के उपबंधों के अनुसार उपाधिपत्र प्रदान किया जायेगा ।

[1][(2) यदि जांच या पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप किसी अभ्यर्थी के अंक बढ गये हैं जो उसे उत्तीर्ण घोषित किये जाने का हकदार बनाते हैं। या किसी विषय में 10 प्रतिशत से अधिक की अंकों में वृद्धि हुई है, उसे तद्नुसार सूचित किया जायेगा ।

MAP IT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

---

1. म. प्र. राजपत्र भाग 40 दिनाक 29--1990 पृष्ठ 226 पर प्रकाशित अधिसूचना सं 1187-3899 सत्रह-मेडी-2 दिनांक 2 जून, 1990 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. अधिसूचना क. 1153 19311 मेडी-4 दिनांक 30 सितम्बर 1993 द्वारा प्रतिस्थापिन म. प्र. राजपत्र भाग 40 दिनांक 211-94 पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित) ।
3. अधिसूचना क्र. 1153- 19311 मेडी-4 दिनांक 30 सितम्बर 1993 द्वारा प्रतिस्थापित म. प्र. राजपत्र भाग 44 दिनांक 211-94 पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित) ।

[1][परिशिष्ट

(विनियम 6 तथा 12)

परिषद् को देय फीस

अनु-क्रमांक	विशिष्टियां	विनियम क्रमांक	फीस की दर रुपये	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्रथम डी.एच.एम.एस. परीक्षा	38	300	-
2	द्वितीय डीएचएमएस. परीक्षा	38	350	-
3	तृतीय डीएचएमएस. परीक्षा	38	450	-
4	अनुपूरक दो विषय	33	200	-
5	अनुपूरक दो से अधिक विषय	33	पूर्ण फीस	-
6	विलंब फीस परीक्षा फीस	43	30	नियत तारीख से 15 दिन के भीतर
			100	नियत तारीख से 15 दिन के पश्चात् तारीख तथा ए क माह के भीतर।
			200	नियत तारीख से एक माह के पश्चात् तथा परीक्षा के प्रारंभ से 7 दिन पूर्व तक ।
7	अंक सूची	39	40	-
8	अंक सूची की दूसरी प्रति	49	20	-
9	अंकों का पुनयोग प्रति विषय	48 (1)	50	-
10	पुनर्जांच अधिकतम 3 विषय	48 (1)	100	प्रत्येक विषय
11	नामांकन फीस	12	100	-
12	नामांकन प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति	16	25	-
13	एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण के लिये फीस	20 (चार)	200	-
14	प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति	45(3)	20	-
15	डी.एच.एम.एस. उपाधि पत्र / प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति।	50	100	-

MAPIT (MP Code)
www.code.mp.gov.in

1. अधिसूचना क्र. 1153.- 1931 -17 मेडी-4 दिनांक 30 सितम्बर 1993 द्वारा प्रतिस्थापित म. प्र. राजपत्र भाग 4 दिनांक 21 - 1 -94 पृष्ठ 1-2 पर प्रकाशित) ।